



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

# प्रेस विज्ञप्ति

संख्या— 603  
10/08/2017

## लोक सूचना पदाधिकारी, कटिहार को लगा आर्थिक दण्ड

**पटना-10 अगस्त, 2017 :-** राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार राज्य सूचना आयुक्त श्री बी०के० वर्मा ने लोक सूचना पदाधिकारी, कटिहार नगर निगम को आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त ने वाद संख्या-103254/13-14 के मामले में आवेदक श्री किशन सिंघानिया को ससमय सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा जारी निदेश का उल्लंघन करने के चलते लोक सूचना पदाधिकारी, कटिहार, नगर निगम को 25000/- (पच्चीस हजार) रूपये का आर्थिक दंड लगाने का निर्णय लिया है। साथ ही जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, कटिहार को फैंसले की कॉपी इस आशय के साथ भेजी गई है कि दंड की कटौती कर इस सूचना से आयोग को भी अवगत कराया जाय।

ज्ञातव्य है कि इस मामले की अगली सुनवाई दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 को आयोग कार्यालय में साढ़े दस बजे पूर्वाह्न होगी।

\*\*\*\*\*